प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या :– एस0पी0एम0यू0/नियोजन/9/2012–13/858-72 दिनांक 26 जुलाई, 2012

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य सोसाइटी स्तर से कार्यक्रमों के गहन अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या एन0आर0एच0एम0/नियोजन/2011–12/1093–71, दिनांक 21 मई, 2011 का संदर्भ लें। पत्र के द्वारा जनपद में नियमित रूप से जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के बैठकों के आयोजन तथा इस स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा किए जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2. वर्ष 2012–13 से प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का द्वितीय चरण आरम्भ किया गया है तथा आगामी 5 वर्षों में मिशन के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने के पूर्ण प्रयास हेतु शासन कृत संकल्प है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आपकी अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसका दायित्व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद में समस्त गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन का है।

3. आप जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, अतः आपसे अपेक्षित है कि प्रतिमाह एक पूरा दिन स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रखें, जिसमें जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठक करें तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन अनुश्रवण एवं समीक्षा सुनिश्चित करें। इस बैठक में राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से प्राप्त संदर्भों एवं निर्देशों पर अनिवार्य रूप से चर्चा हो तथा सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली समस्त योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आप पूर्णतया उत्तरदायी हैं।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मुख्य गतिविधियों में "जननी सुरक्षा योजना" अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है तथा इसके अन्तर्गत शत–प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन तथा लाभार्थी एवं आशा को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त जरूरी है। प्रत्येक माह इस योजना की विस्तृत समीक्षा आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है। गत वर्ष माह अगस्त, 2011 से प्रदेश में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को पूर्णतया निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रथम वर्ष में यह कार्यक्रम केवल प्रथम

---2

संदर्भन इकाइयों पर ही संचालित किया गया था परन्तु वर्ष 2012–13 से जनपद की उन समस्त प्रसव इकाइयों पर निःशुल्क भर्ती, जांच, औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, भोजन व्यवस्था तथा वापस घर पहुंचाने हेतु ड्राप बैक सुविधा दी जानी है जहां लगभग 100 प्रसव प्रतिमाह (3–4 प्रसव प्रतिदिन) कराए जा रहे हैं।

5. प्रत्येक जनपद में चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संयुक्त चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालयों में जटिलता वाले प्रसवों के उपचार के लिए 24 घण्टे व्यवस्था की गई है तथा इन्हें प्रथम संदर्भन इकाई (L-3) के रूप में क्रियाशील किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि इन इकाईयों पर विशेषज्ञों की उपलब्धता, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी का क्रियाशील होना/ब्लड बैंक से लिंकेज तथा आवश्यक इमरजेंसी औषधियां हर समय उपलब्ध हों।

6. कन्याभ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध एवं ज्वलंत समस्या है जिसके कारण प्रदेश में लिंग–अनुपात (0–6 वर्ष) लगातार गिरता जा रहा है। इसके अन्तर्गत जनपद में कार्यरत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का रजिस्ट्रेशन, गतिविधि का नियमित अनुश्रवण तथा शिकायत पाये जाने वाले केन्द्रों पर आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से की जानी अपेक्षित है। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में इस बिन्दु पर समीक्षा अवश्य की जाय। यदि जनपद में एक्ट के विरूद्ध कार्य करने वाले केन्द्र/चिकित्सक की शिकायत या सूचना प्राप्त होती है तो अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. एक वर्ष से छोटे बच्चों को टीकों से आच्छादित करके उन्हें 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने हेतु नियमित टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए सप्ताह के दो दिन, बुधवार एवं शनिवार नियत किये गये हैं। जनपद के प्रत्येक गांव में माइक्रो प्लान के अनुसार माह के एक दिन टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देख–भाल एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श गतिविधियों से आच्छादित किया जाता है। इन टीकाकरण सत्रों का "ऑन साइट सत्यापन" कैलेण्डर बनाकर सुनिश्चित कराया जाय।

8. जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का दायित्व है कि जनपद में होने वाले समस्त निर्माण कार्यों का गहन अनुश्रवण करे तथा इनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करे। प्रत्येक जनपद में महिला/पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों तथा चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण भी किया जा रहा है, जिसके लिए चयनित एजेन्सी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें नितान्त आवश्यक हैं तथा इस कार्य में गतिशीलता अपेक्षित है।

9. वर्तमान में प्रदेश के चयनित 15 जनपदों में राष्ट्रीय सचल चिकित्सालय योजना के अन्तर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ अथवा असेवित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। जनपद स्तर से इनका निर्धारित रोस्टर ब्लाकवार बनवा लिया जाए तथा समयबद्ध समुचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं जनसाधारण को उपलब्ध करायी जाएं। इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा सीधे किया जाए।

---3

10. इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के 2–16 वर्ष आयु के सभी बच्चों को आर्शीवाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन की योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को स्कूली शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा एवं ए0एन0एम0 के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय चिकित्सालय पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लाक स्तर पर समर्पित मेडिकल टीम के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के सफल संचालन में आपका नियमित मार्गदर्शन अपेक्षित है।

11. जनपद की स्वास्थ्य इकाइयों पर अनटाइड, एनुअल मेंटीनेंस ग्राण्ट तथा रोगी कल्याण समिति हेतु कॉर्पस ग्राण्ट के रूप में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकानुसार धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। भेजी गयी गाइडलाइन्स के अनुसार इन धनराशियों का सदुपयोग सुनिश्चित कराने में आपका सहयोग वांछित है।

12. समय–समय पर राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों से आपको अवगत कराया जायेगा, जिसका अनुपालन आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित होगा। कार्यक्रम के महत्व एवं प्रगति की गंभीरता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि समय–सारिणी **(संलग्नक–1)** के अनुसार किसी एक दिन जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकें प्रतिमाह संचालित की जाएं, जिसमें आप स्वयं अध्यक्षता करें एवं गतिविधियों की प्रगति का सूक्ष्म मूल्यांकन करें। बैठक का कार्यवृत्त बनवाकर, लिये गये निर्णयों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें तथा कार्यवृत्त की एक प्रति मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भी भेजना सुनिश्चित करें। बैठक का मॉडल एजेण्डा **(संलग्नक–2)** भी संलग्न किया जा रहा है जिसमें आप अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका समयबद्ध समुचित संचालन, अनुश्रवण एवं प्राप्त धनराशियों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। जनपद स्तर पर उक्त गतिविधियों का अनुपालन आपके दिशानिर्देश में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना है जो कार्यक्रम की सफलता के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

पत्रांकः—एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 9 / 2012—13 /   तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. डा0 सुरेश के0 मोहम्मद, निदेशक, एन0आर0एच0एम0 एवं आर0सी0एच0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध से कि वे कृपया मण्डल के समस्त जनपदों में उक्त गतिविधियां सुनिश्चित कराने में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक—परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से वे जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण में पूरा सहयोग करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी—उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे नियत तिथि पर जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

--5

संलग्नक–1

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की प्रस्तावित बैठकों हेतु अगस्त, 2012 से मार्च, 2013 तक निर्धारित तिथियाँ

क्रमांक	माह	तिथि
1	अगस्त, 2012	20 – 25 अगस्त
2	सितम्बर, 2012	24– 29 सितम्बर
3	अक्टूबर, 2012	22– 27 अक्टूबर
4	नवम्बर, 2012	19 – 24 नवम्बर
5	दिसम्बर, 2012	24 – 29 दिसम्बर
6	जनवरी, 2013	21 – 26 जनवरी
7	फरवरी, 2013	25 – 28 फरवरी
8	मार्च, 2013	25 – 30 मार्च

नोट : उपर्युक्त दी गयी प्रति माह की तिथियों में किसी एक दिन जिलाधिकारी की उपलब्धतानुसार जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठक आयोजित की जानी अनिवार्य है।

संलग्नक–2

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की प्रस्तावित बैठकों का मॉडल एजेण्डा

1. राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से प्राप्त संदर्भ एवं निर्देशों पर चर्चा।
2. जनपद में विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में स्वच्छता, पानी एवं बिजली व्यवस्था।
3. जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का सत्यापन एवं भुगतान की समीक्षा।
4. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव इकाइयों पर निःशुल्क औषधि/ कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता, भोजन एवं ड्राप बैक की सुविधा।
5. जनपद में प्रथम संदर्भन इकाइयों पर सिजेरियन प्रसव की समीक्षा।
6. पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट के अंतर्गत केन्द्रों के पंजीकरण, कमेटियों द्वारा किये गये औचक निरीक्षण एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा।
7. आर्शीवाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की तैयारियों की समीक्षा।
8. नियमित टीकाकरण, सत्यापन एवं सत्र अनुश्रवण।
9. जनपद में कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा, विशेष रूप से जिला चिकित्सालयों का उच्चीकरण एवं उपकेन्द्रों का निर्माण।
10. मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग की प्रगति की समीक्षा।
11. राष्ट्रीय सचल चिकित्सालय योजना (एम0एम0यू0) का साप्ताहिक रोस्टर, जनसाधारण द्वारा प्राप्त की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा।
12. जिन जनपदों में 'सिक न्यूबार्न केयर यूनिट' या 'पोषण पुर्नवास केन्द्र' संचालित किये जा रहे/जाने है, की प्रगति की समीक्षा।
13. जनपद में संचालित परिवार नियोजन गतिविधियों एवं जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की प्रगति की समीक्षा।
14. जनपद में कार्यरत आशा के कार्यों की समीक्षा, जो आशायें कार्य छोड़ गई हैं उनके स्थान पर नई आशाओं की तैनाती तथा आशा को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय भुगतान की इलेक्ट्रानिकली बैंक खाते के माध्यम सें नियमित व्यवस्था।
15. जनपद में विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों पर कार्यशील रोगी कल्याण समिति के खातों का अनुश्रवण तथा किये गये कार्यों की समीक्षा।
16. जनपद में संचालित विभिन्न गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।